विनियामक और अन्य उपाय

जनवरी 2009

13 जनवरी 2009 का आरबीआइ/ 2008-09/349 संदर्भ सं.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.32/09.18.201/2008-09

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पूंजीगत निधि में वृद्धि करने वाले लिखत - शहरी सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.4 /09.18.201 /2008-09 देखें जिसके साथ अधिमानी शेयर तथा दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश अग्रेषित किए गए थे।

2. इस संबंध में आगे सूचित किया जाता है: (i) सतत असंचयी अधिमानी (पी एन सी पी) शेयरों को मौजूदा शेयर लिकिंग संबंधी मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ शेयर माना जाए। (ii) अधिमानी शेयरों (पी एन सी पी सहित) के संपार्श्विक आधार पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर न किया जाए। (iii) मौजूदा शेयरधारकों द्वारा दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

दिनांक 20 जनवरी 2009 का आरबीआइ /2008-09/ 353 संदर्भ.शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.34/ 09.39.000/2008-09

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शहरी सहकारी बैंक-चेक संग्रहण में विलंब

चेक समाशोधन में विलंब - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष वर्ष 2006 का मामला सं.82

जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2006 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (आयोग) के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

के अंतर्गत एक मामला दायर किया गया था जिसके द्वारा चेक समाशोधन में विलंब और विशेष रूप से स्थानीय एवं अंतर-नगरीय समाशोधन में फ्लोट जारी करने के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया था । जनहित में वर्ष 2006 के मामला संख्या 82 के रूप में स्वीकार किए गए इस मामले में शिकायतकर्ता ने चेकों के संग्रहण में विलंब के लिए ब्याज के रूप में पर्याप्त क्षतिपूर्ति की मांग की थी ।

2. आयोग ने इस मामले में 27 अगस्त 2008 को अपना फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की कि भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेकों के संग्रहण में विलंब के कारण होने वाले फ्लोट यदि कोई, को नियंत्रित करे । उक्त मामले में सुनवाई के दौरान आयोग ने आदेश पारित किए जिनके आधार पर अंतिम रूप से एक आदेश जारी किया गया जो http://www.ncdrc.nic.in/cc820605.htm पर उपलब्ध है ।

3. आयोग के आदेशों के अनुपालन में सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित की गई निम्नलिखित समय-सीमाओं का अनुपालन करें :

(क) स्थानीय चेकों के मामले में क्रेडिट या डेबिट उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन किया जाए ।

(ख) राज्यों की राजधानियों /प्रमुख शहरों /अन्य स्थानों पर आहरित बाहरी चेकों के संग्रहण की समय सीमा क्रमश: 7/10/14 दिन होगी । यदि कथित चेकों के संग्रहण में इस समय सीमा से अधिक विलंब होता है तो चेक के आदाता को सावधि जमा दर अथवा बैंकों की संबंधित नीति के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाए । यदि चेक संग्रहण नीति के अंतर्गत ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है तो तदनुरूपी परिपक्वता अवधि के लिए सावधि जमा राशि पर देय ब्याज दर लागू होगी । चेकों के संग्रहण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा को अंतिम समय-सीमा माना जाए और यदि संग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो जाती है तो क्रेडिट दिया जाए । शहरी सहकारी बैंक अपने ग्राहकों द्वारा संग्रहण के लिए जमा किए गए बाहरी चेकों को अस्वीकार नहीं करेंगे ।

ग) बाहरी चेकों के संग्रहण की समय-सीमा तथा विलंब की स्थिति में उन पर देय ब्याज की सूचना प्रत्येक शाखा के प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से बडे-बडे /दिखाई पडने वाले अक्षरों में प्रदर्शित की जाए ।

4. इस संदर्भ में, 15 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) बीपीडी.परि.सं.40 /09.39.000/2007-08 देखें जिसके द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे (i) स्थानीय बाहरी चेकों को तत्काल क्रेडिट करने (ii) स्थानीय /बाहरी चेकों के संग्रहण की समय-सीमा तथा (iii) संग्रहण में विलंब होने पर ब्याज के भुगतान से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए एक व्यापक और पारदर्शी नीति बनाए । तदनुसार, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अपनी चेक संग्रहण नीति निर्मित /संशोधित करें और उसकी एक प्रतिलिपि इस विभाग को अग्रेषित तथा एक प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को बैंकों द्वारा उसे लागू करने से पहले अवलोकनार्थ एवं पुष्टि के लिए भेजें ।

दिनांक 30 जनवरी 2009 का आरबीआइ /2008-09/368 संदर्भ.सं. शबैंवि. (पीसीबी)बीपीडी. परि.सं. 47 / 16.20.000/2008-09

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर क्रमश: 18 सितंबर 2007 एवं 17 मई 2003 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी. पीसीबी.परि.14 /16.20.00/2007-08 तथा बीपीडी.पीसीबी.परि.46 /16.20.00 /2002-03 देखें ।

2. बैंकों और उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और उपर्युक्त विषय पर संशोधित दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) निवेश सीमा

मांग मुद्रा /सूचना मुद्रा और जमाराशियों सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों (अंतर-बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई कुल जमाराशियाँ यदि कुछ हों, और समाशोधन सुविधा, ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख पत्र आदि जैसी ग़ैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए रखी गई हो तो उसे गत वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों में और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमालेखा तथा अंतर-बैंक के निवेश के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में निवेश के रूप में धारित शेष को इस 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा ।

ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाले बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) विवेकपूर्ण सीमा में छूट

मौजूदा नीति के अनुसार टीयर I के ग़ैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 15 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने से छूट दी गई है बशर्ते वह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड के पास ब्याज धारण करने वाली जमाराशियों के रूप में रखी गई है । इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है [पैरागाफ 2(i) तथा (ii)]।

संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक अथवा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुरक्षित शेषों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात माना जाएगा । इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है [पैरागाफ 2(i) तथा (ii)]।

3. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, ग़ैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का निवेश 17 मई 2003 के हमारे परिपत्र बीपीडी.पीसीबी.परि.46 /16.20.00 /2002-03 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगा । तथापि, किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक में किसी ग़ैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमाकर्ता बैंक की कुल जमाराशि जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-शहरी सहकारी बैंक जमाराशियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधि स्थिति, चलनिधि और अन्य बैंकों में जमाराशियों के निवेश के लिए अन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, ऐसी जमाराशियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर और ब्याज मार्जिन, काउण्टर पार्टी जोखिम आदि पर विचार करते हुए एक नीति तैयार करें और उसे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें । बोर्ड छमाही अंतरालों पर स्थिति की समीक्षा करे।

5. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ग़ैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।